संख्या– E-51714/2023

प्रेषक,

हरि चन्द्र सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गढवाल/कुमायूँ मण्डल, पौडी/नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

पंचायती राज अनुभाग–01 देहरादून, दिनांक अप्रैल, 2024

विषयः– 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया पर ग्राम पंचायतों में ''बाल विवाह रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि हिन्दू मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतिया के शुभ अवसर पर सामूहिक एवं पारिवारिक स्तर पर बडी संख्या में विवाह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष दिनांक 10 मई, 2024 को अक्षय तृतिया का त्यौहार मनाया जाना है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बाल विवाह रोकथाम के लिये राज्य की समस्त ग्राम पंचायतों/नगरीय निकाय में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने एवं सामूहिक आयोजनों में होने वाले किसी भी बाल विवाह को रोकने हेतु निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

(i) बाल विवाह से सम्बन्धित मामला संज्ञान में आने पर प्रधान, ग्राम पंचायत/नगर निकाय द्वारा इसकी त्वरित सूचना उत्तराखण्ड बाल विवाह के प्रतिषेध नियम, 2016 के अन्तर्गत निर्धारित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (नामित) सम्बन्धित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा निकटस्थ थाना पुलिस को देते हुये, बाल विवाह को रूकवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) जनपद के प्रत्येक विवाह का पंजीकरण उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2012 के अन्तर्गत अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए।

(iii) प्रत्येक ग्राम सभा/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/नगर निकाय की बैठक के एजेंडे में बाल विवाह प्रतिषेध का बिन्दु अवश्य सम्मिलित किया जाय तथा बैठकों में बाल विवाह से होने वाली हानियों और दुष्प्रभावों की चर्चा अनिवार्यतः की जाय ताकि जनपद में आमजनों में इस विषय पर संवेदनशीलता बनी रहे।

(iv) जनपद में बाल विवाह का मामला प्रकाश में आने की स्थिति में संबंधित प्रधान, वार्ड सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, नगरीय निकायों के सम्बन्धित पदाधिकारी जिम्मेदार माने जायेंगे एवं अपने कर्तव्यों का सम्यक् निर्वहन नहीं करने के आरोप में उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई भी सरकार द्वारा की जा सकती है। समाजिक मुद्दों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्तर पर की गई कार्रवाई/पहल को उनके समग्र कार्य

मूल्यांकन में शामिल किया जायेगा एवं राज्य/जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर ऐसे प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जायेगा।

(v) बाल विवाह रोक से संबंधित उत्तराखण्ड बाल विवाह के प्रतिषेध नियम, 2016 का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए।

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 02-05-2024 13:54:15

भवदीय,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
2. श्री धनंजय टिंगल, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बचपन बचाओ आन्दोलन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

Signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 02-05-2024 14:21:51

(ध्रुव मोहन सिंह राणा)
संयुक्त सचिव